

नाजायज तमंचा व कारतूस के साथ 02 शांति गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मरु श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा डोमनपुरा के पास से जावेद कुरैसी पुत्र एनूलहक निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला के कब्जे से एक नाजायज तमंचा मय एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 115/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना **घोसी** पुलिस द्वारा थानीदास से श्रीराम यादव पुत्र अन्तु यादव निवासी बड़ागांव उदवा थाना घोसी के कब्जे से एक तमंचा मय एक अदद कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 459/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

60 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद, 04 गिरफ्तार—

आज दिनांक 11.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा दीपक राजभर पुत्र हरिन्द्र राजभर निवासी खालिदपुर थाना हलधरपुर के कब्जे से 10 लीटर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा रामदेव राजभर पुत्र स्व0 फूलचन्द्र निवासी रइसा थाना कोपागंज के कब्जे से 20 लीटर, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा जयप्रकाश पुत्र कमला निवासी बैरबग्गा थाना दक्षिणटोला के कब्जे से 10 लीटर, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा कमलेश पुत्र दरबारी निवासी सिकड़ीकोल थाना मधुबन के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर सम्बन्धित अभियोगों में धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 11.09.20 को थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 557/20 धारा 366,376,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त रेहान पुत्र चादंमुहम्मद निवासी जोगरी तथा मु0अ0सं0 136/18 धारा 272,273 भादवि0, 60(2) आबकारी अधिनियम में वांछित अभियुक्त चन्द्रभान पुत्र वृजभान यादव निवासी मिश्रौली थाना मधुबन मरु को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 27 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 11.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा उपेन्द्र सिंह, रामशिंंगार निवासीगण मिर्जापुर थाना चिरैयाकोट, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा धमेन्द्र निवासी बुढ़ावर, रामअनुज निवासी मेहआबार थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा सन्तराज, पंकज निवासीगण जमालपुर भीखमपुर, रविसिंह, शिवदर्शन निवासी रामपुर थाना घोसी, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा मोनू निवासी बहरामपुर, अंशु, अन्नू, कमलेश, शेषनाथ निवासीगण सहरोज थाना कोपागंज, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा इशतेयाक निवासी अलीनगर, परवेज, मो0 समीर निवासीगण पटानटोला थाना कोतवाली, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा अभिषेक, विशाल निवासी चौधरीपुर, महेन्द्र निवासी तिलहरी, अवनिश, मनोज, मटठू निवासी गुरुम्हा, अजय निवासी डढ़वल थाना मधुबन, थाना **सरयलखंसी** पुलिस द्वारा रामसनुज निवसी बहरज जनपद देवरिया, विजय शंकर निवासी महलीपुर थाना सरयलखंसी, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा परमानन्द, रोशन निवासीगण याकुबपुर थाना रानीपुर मरु को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

प्रदेश में मऊ पुलिस अब्बल, जनसुनवाई में अर्जित किया प्रथम रैंक-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन/पर्यवेक्षण में जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0) समाधान पोर्टल पर प्राप्त समस्त संन्दर्भों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने के मासिक मूल्यांकन में माह अगस्त में मऊ पुलिस ने शत-प्रतिशत अंक अर्जित करते हुए प्रदेश में प्रथम रैंक अर्जित किया है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जनसुनवाई करने तथा प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने को लेकर मातहतों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किये गये है।